

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त परम्परागत कुलसभिय जीवाजी विश्वविद्यालय के सत्र में ही विद्यार्थी एवं शिक्षक मिली अन्य प्राणिकारी के साथ में। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में परीक्षाएं हुए हों तो परीक्षाएं एवं विनाईक अवसर विनाईक विद्यार्थी के लिए है।



आज : बुधवार
 दिनांक : 07/51/2341206
 07/51/2442824
 फ़ोन : 0751/2341765

प्रेषक :
 कुलसचिव,
 जीवाजी विश्वविद्यालय,
 ग्वालियर

क्रमांक:पत्र/सम्बद्धता/2012: 5328

दिनांक: 05/12/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध गुरुकुल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, इतिहास (07522-235035) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड., पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रम/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुसूचित प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्वायी सभिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनिधम 27(10) के अन्तर्गत विज्ञानानुसार निरीक्षण सभिति का गठन किया है -


- (1) प्रो. विवेक श्याम, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442822)
- (2) डॉ. के.एस. लक्ष्मी, आचार्य, सभित्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिवर्ध, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण सभिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनिधम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर गुण, महोदय सभिति, गठित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुसूचित/अनुसूचित प्रमाण पत्र, भाग, कक्षा परिसर एवं पाठ्यक्रम/अभिनियम तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति गद्य प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसूचित सभिति करें।

स्वायी सभिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण सभिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं तथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सत्र के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। निचानुसार अर्थदण्ड जमा करके नवीन सभिति गठित की जायेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनिधम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना सत्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण सभिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत उपरीक्षक / कार्यालय सहायक चक्रवर्ती (लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण सभिति को अवगत करवेंगे। निरीक्षण सभिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानवेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


 कुलसचिव

प्रतिनिधि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबन्धित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि सभिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावे। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सभिति / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


 सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

18